

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर  
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/स्था./2020/ 385 "अ"

जबलपुर, दिनांक 22/06/2020

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 326/67/2020/38/सी.सी. भोपाल दिनांक 17.06.2020 के द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय के कार्यालय के संदर्भ में निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन से समय-समय पर प्राप्त आदेशानुसार कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है। अतः आदेशानुसार पूर्व में कार्यालय संचालन हेतु जारी समस्त आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा विश्वविद्यालय में नवीन आदेशानुसार कर्मचारियों द्वारा समस्त कार्यदिवसों में उपस्थित होकर दो पालियों में (प्रत्येक पाली में 50 प्रतिशत) कार्यालयीन कार्य संपादित किये जायेंगे। दोनों पालियों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेंगी। शासन के उक्त आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्य आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगे।

कार्यालय की प्रथम पाली प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 02:30 बजे से 05:30 बजे तक रहेगी।

प्रथम एवं द्वितीय पाली में बुलाये जाने वाले कर्मचारियों का निर्धारण संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22/06/2020

पृ.क्र./स्था./2020/ 385 "अ"

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/विभागीय अधिकारी, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
2. समस्त अनुभाग अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने विभागीय कर्मचारियों को उक्त आदेश से अवगत करावें तथा इस बात का भी ध्यान रखें कि विभाग में प्रत्येक पाली में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
3. सहायक, आई.क्यू.ए.सी., रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर केंद्र को और इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालयीन आदेश को तत्काल वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
6. मीडिया प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त कार्यालयीन आदेश को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

सहायक कुलसचिव (आपना)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर